रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D.-(D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 89] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 1983/फाल्गुन 25, 1904
No. 89] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 1983/PHALGUNA 25, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 87/83-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1983

सा.का.नि. 269(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा, दमण और दीव में डबोलिम वायुपत्तन को, आयातित माल के उतारने के लिए और निर्यातित माल के या ऐसे माल के किसी वर्ग के लादने के प्रयोजनों के लिए सीमाशुल्क विमान पत्तन के रूप में नियत करती है ।

[फा. सं. 434/5/83-सीशु.-4]

जे. वी. नागरकर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

No. 87/83-CUSTOMS

New Delhi, the 16th March, 1983

G.S.R. 269(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints the Dabolim airport in the Union territory of Goa, Daman and Diu as a customs airport for the purposes of unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods.

[F. No. 434/5/83-Cus. IV]

Z. B. NAGARKAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983